न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–94/2023 दायरा दिनांक :– 01.02.2019

–:: अनवान ::–

1.सुखदर्शन सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख साकिन 1 टी.टी.डी. जैसामटी तहसील सूरतगढ़ हाल सैक्टर नं. 9 एल. वार्ड नं. 37 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

–वादी

बनाम

1.आसुसिंह पुत्र बचनसिंह शेखावत जाति राजपुत उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

2.लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट निवासी 34 आर.डब्लयू.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ़

3.होशियार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

4.नरेन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति सैनी निवासी सेक्टर नं. 12 हनुमानगढ़

5.सुबेसिंह पुत्र श्योचन्द्र मेघवाल सहायक वनपाल रावतसर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री अजय कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::– दिनांक :–30.01.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 मय फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद की माता भगवानकौर व पिता नाजरसिंह के नाम से चक 1 टीटीडी तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के पत्थर नं. 212/99 में 0.228, 212/57 में 0.456, 212/58 में 1.140, 212/50 में 1.012, 212/51 में 3.517, 212/59 में 0.835 कुल 7.188 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी की माता भगवानकौर व पिता नाजरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादी की माता भगवानकौर ने अपनी कुल सम्पति की वसीयत जरिये वसीयतनामा दिनांक 24.07.1996 को वादी के हक में निष्पादित की हुई है। वादी के पिता नाजरसिंह द्वारा दिनांक 13.04.1993 को वसीयत वादी के हक

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में की हुई है। इस प्रकार वादी अपने माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त भूमि का खातेदार है। वादी के पिता वनप्रेमी थे। उन्होने चक 1 टीटीडी के पत्थर नं. 212/51 के किला नं. 16/0.038, 17/0.152 हैक्टर, 18 ता 20 की 0.759 हैक्टर, 21/0.190 हैक्टर, 22/0.101 हैक्टर कुल 1.240 हैक्टर भूमि पर बड़ी संख्या में सफेदे के पेड़ लगाये हुए है जो कि समय पाकर विकसित हो गये। प्रतिवादीगण वन विभाग के अधिकारी है। उन्होने सफेदे के पेड़ लगे देखकर प्रतिवादीगण ने उपर्युक्त जैरवाद रकबा पर तारबंदी कर कब्जा कर लिया है। इसलिये वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जैरवाद रकबा से बेदखल कर मुआवजा दिलवाने का निवेदन किया गया।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा आने के बाद निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया की चक 1 टी.टी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 प.नं. 212/99 में कुल 7.188 हैक्टर भूमि वादी की माता भगवानकौर व पिता नाजर सिंह के नाम से दर्ज है? —वादी
2. आया कि उक्त जैरवाद भूमि उनकी माता भगवानकौर एवं नाजरसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता भगवानकौर ने दिनांक 24.07.1996 तथा वादी के पिता नाजर सिंह ने दिनांक 13.04.1993 को वसीयत वादी के पक्ष में की गई है। वादी उक्त भूमि का खातेदार है? —वादी
3. आया की जैरवाद भूमि पर बड़ी संख्या में सफेदे के पेड़ लगाये थे। जो वन विभाग के कर्मियों द्वारा अवैध रूप से काटे गये है? —वादी
4. आया की वादी, प्रतिवादीगण को जैरवाद भूमि से बेदखल करवाकर काटे गये पेड़ों का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है? —वादी
5. आया की प.न. 212/51 के किला नं. 16,17,18 से 20,22,23,24,25 की भूमि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की है, जिसमें विभाग द्वारा सफेदे के पेड़ लगाये है, जो विभाग की सम्पति है? —प्रतिवादीगण
6. आया कि वन विभाग कर्मियों ने विभाग की सम्पति पर ही पेड़ काटे है एवं वादी की भूमि पर कब्जा कभी नही किया है? —प्रतिवादीगण
7. अन्य अनुतोष।

उक्तानुसार बाद कायमी तनकीयात वादी ने शपथ पत्र पर साक्ष्य करवाये। उनके द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नही आने से जिरह शून्य रही। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्य वादी बंद किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी के माता–पिता के नाम से अंकित रकबा पर से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने तथा मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन किया गया। तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से है :

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी सं. 1 :—आया की चक 1 टी.टी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 प.नं. 212/99 में कुल 7.188 हैक्टर भूमि वादी की माता भगवानकौर व पिता नाजर सिंह के नाम से दर्ज है?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी की ओर ध्यान दिलाया। दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 टी. टी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता संख्या 24/48 की 7.188 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि वादी की माता भगवानकौर (6.881 हैक्टर) व पिता नाजर सिंह 0.304 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज है। इसलिये यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी सं. 2 :—आया कि उक्त जैरवाद भूमि उनकी माता भगवानकौर एवं नाजरसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता भगवानकौर ने दिनांक 24.07.1996 तथा वादी के पिता नाजर सिंह ने दिनांक 13.04.1993 को वसीयत वादी के पक्ष में की गई है। वादी उक्त भूमि का खातेदार है?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने भगवानकौर व नाजर सिंह की वसीयतनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की है। वादी ने उक्त वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की है एवं ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित हो कि वसीयतनामा के आधार पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वादी को जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक घोषित किया गया है। इसलिये उक्त तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी सं. 3 :—आया की जैरवाद भूमि पर बड़ी संख्या में सफेदे के पेड़ लगाये थे। जो वन विभाग के कर्मियों द्वारा अवैध रूप से काटे गये है? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जैरवाद रकबा पत्थर नं. 212/51 के किला नं. 16 से 22 की 1.240 हैक्टर वादी के माता व पिता के नाम से अंकित है। उक्त किलाजात में पूर्ण रकबा वादी के माता—पिता के नाम से दर्ज नही है। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया है। जिससे यह साबित हो कि वादी के माता—पिता के रकबा पर से ही वन विभाग कर्मियों ने पेड़ काटे है। इसलिये उक्त तनकी भी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी सं. 4 :—आया की वादी, प्रतिवादीगण को जैरवाद भूमि से बेदखल करवाकर काटे गये पेड़ों का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। उक्त तनकी, तनकी संख्या—3 पर आधारित है। तनकी संख्या—3 विरूद्ध वादी तय की गई है। इसलिये उक्त तनकी भी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी सं 5 :—आया की प.न. 212/51 के किला नं. 16,17,18 से 20,22,23,24,25 की भूमि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की है, जिसमें विभाग द्वारा सफेदे के पेड़ लगाये है, जो विभाग की सम्पति है?

(प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने विभाग की

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है एवं ना ही अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य करवाये है। इसलिये उनके कथन स्वीकार्य नही है। इसलिये यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 6 :—आया कि वन विभाग कर्मियों ने विभाग की सम्पति पर ही पेड़ काटे है एवं वादी की भूमि पर कब्जा कभी नही किया है?

(प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी का आधार तनकी सं. 5 था। वह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय होने से यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अन्य अनुतोषः— वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर अपने माता—पिता के नाम अंकित खातेदारी भूमि संबंध में अनुतोष चाहा है। जबकि वादी ने वादपत्र में अंकित किया है कि उक्त रकबा की वसीयत वादी के माता—पिता द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की गई है। किन्तु वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त रकबा को उसे खातेदार कृषक किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जैरवाद रकबा का उसके पास कोई टाईटल नही है। इसलिये वह दावा लाने का अधिकारी नही है। फिर भी वह पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद सीमा को लेकर है। क्योंकि उक्त किलाजात में वादी के माता—पिता व नहर व वन विभाग की भूमि है। इसके लिये खातेदार सीमाज्ञान करवाकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। किन्तु वादी, इस दावा के जरिये बिना टाईटल अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 ता 4 को वादी द्वारा सिद्ध किया जाना था, जबकि वादी तनकी संख्या 2 ता 4 को सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.सुखर्दशन सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख साकिन 1 टी.टी.डी. जैसामटी तहसील सूरतगढ़ हाल सैक्टर नं. 9 एल. वार्ड नं. 37 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़

–वादी

बनाम

1.आसुसिंह पुत्र बचनसिंह शेखावत जाति राजपुत उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

2.लालचन्द पुत्र पतराम जाति जाट निवासी 34 आर.डब्लयू.डी. तहसील व जिला हनुमानगढ़

3.होशियार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

4.नरेन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति सैनी निवासी सेक्टर नं. 12 हनुमानगढ़

5.सुबेसिंह पुत्र श्योचन्द्र मेघवाल सहायक वनपाल रावतसर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा–183 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 26 वर्ष 2019 (GCMS 2014/00173) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अजय कुमार अरोड़ा के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह..... x..... फस्दों की पालना..... x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30.01.2024 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)